



254/11

दूरभाष- 2286709

2286710

नव धेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1508/05/76/एक/2016-17

दिनांक : 20 जुलाई 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-महराजगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	14202041002149	IFSC Code ORBC0101420	443.969

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 नौतनवा	वार्ड नं० 15 सरोजनी नगर में कैलाश मद्धेशिया के मकान से दिनेश मिश्रा वाली रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	40.980
2	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 नौतनवा	वार्ड नं० 11 मौलाना आजादनगर में छोटे लाल के घर से ट्रान्सफार्मर से होते हुये बाईपास तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.640
3	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 नौतनवा	वार्ड नं० 15 सरोजनी नगर में ब्रिजलाल के मकान से रामबचन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	41.029
4	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 नौतनवा	वार्ड नं० 13 महेन्द्रनगर में होली क्रांस हास्पिटल से बाईपास तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	43.827
5	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 नौतनवा	वार्ड नं० 15 सरोजनी नगर में ट्रान्फार्मर से जी0एस0 मदरसा स्कूल के आगे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	41.029
6	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 नौतनवा	वार्ड नं० 19 सुभाषनगर में अवधेश मोदी के प्लॉट से शिप्रा एसोशिएट तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	40.980
7	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 नौतनवा	वार्ड नं० 15 सरोजनी नगर में बेचन वाली रोड से नगर सीमा तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	41.029
8	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 नौतनवा	वार्ड नं० 19 सुभाषनगर में श्री युगल किशोर के मकान से ठगई के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	40.908



254/2

दस्तावेज- 2286/09

2286/10

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बरती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
9	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० नौतनवा	वार्ड नं० 14 गौतमबुद्धनगर में हैदर के मकान से तहसील बाउन्डवाल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.636
10	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० नौतनवा	वार्ड नं० 08 मधुबननगर में मस्जिद वाली रोड से कमरुद्दीन के मकान होते हुये मगरू के मकान अपटू राम सजन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.700
11	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० नौतनवा	वार्ड नं० 14 गौतमबुद्धनगर में भीम थापा के मकान से श्री बरीर अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	40.980
12	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० नौतनवा	वार्ड नं० 14 गौतमबुद्धनगर में श्री लारी के मकान से गोरख स्कूल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	44.231
	योग				443.969

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झूठा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



254/3

दूरभाष- 2286709


2286710

नव घेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किरत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी नहीं गयी है।


भवदीय,

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक